न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 11 / 2024	2023 / 258	30.10.2023	05.06.2024

1. रामपाल सिंह पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम मंढा माजरा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा दिनांक 17.05.2023 नामान्तरण संख्या 2481 वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–

01. श्री हरिओम शर्मा —वकील अपीलान्ट

निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के निर्णय दिनांक 17.05.2023 नामान्तकरण संख्या 2481 वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तरण संख्या 2481 में वर्णित आराजी खसरा नं0 1006 रकबा 0.12 हैक्टेयर का 2/18 हिस्सा सालिम मिन अपीलान्ट ने आराजी के खातेदारान तिलकराज पुत्र श्रीमती धन्नो देवी पत्नी दिवान चंद जाति जाट निवासी ग्राम मंढा हाल आबाद एन.न. ए 80, तीसरी मंजिल राईट साईड गुलाब बाग उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली व चिम्मनलाल पुत्र श्रीमती धन्नो देवी पत्नी दिवान चंद जाति जाट निवासी ग्राम मंदा हाल आबाद 118 समावदी के रास्ते पर नंगला रायसीस तहसील अलवर से जरिये रजि० बयनामा दिनांक 27.02.2020 के द्वारा खरीद की गई है। बयनामा उप पंजीयक तिजारा की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 519 प्रेस संख्या 163 कम संख्या 202003119100271 पर दिनांक 27.02.2020 को पंजीबद्ध हुआ। आराजी मिन अपीलान्ट की बाकब्जा वाप्रतिफल खरीद आराजी है और मिन अपीलान्ट ने वक्त खरीद मिन आराजी का कब्जा भी ले लिया था एवं उसी समय से ही मिन अपीलपान्ट वर्णित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर आराजी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। तहत अदालत ने अपने अधिकरो से बाहर जाकर उपरोक्त बयनामा दिनांक 27.02.2020 के आधार पर प्रक्रियाधीन नामान्तकरण संख्या 2481 दिनांक 17.05.2023 को यह तथ्य दर्ज करते हुए खारिज किया गया है, कि उक्त आराजी आवासीय परिधि क्षेत्र में है, तथा आराजी पर नोट 39 लगा हुआ है, खारिज किया गया। जो कि विधि विरूद्ध है। उक्त आराजी पर न तो कोई स्थगन आदेश जारी है और न ही उक्त आराजी आबादी क्षेत्र में है। आराजी कृषि भूमि है। जिस पर काश्त की जा रही है। इससे पूर्व मिन अपीलान्ट ने उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नं० 1006 रकबा 0.12 हैक्टयर के 4/18 हिस्सा को खातेदारान श्रीमती दयावती पुत्री धन्नोदेवी पत्नी खैरातीलाल जाति जाट निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा हाल आबाद मकान नं० डी–1186 गली नं0 01 रतिया मार्ग संगम विहार साउथ दिल्ली 110062 श्रीमति पुष्पा देवी पुत्री श्रीमती धन्नो देवी पुत्री सोमनाम जाति जाट निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा हाल आबाद ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा, रोशन लाल पुत्र श्रीमती धन्नो देवी पत्नी दिवान चन्द जाति जाट निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा हाल आबाद मिलकपुर तहसील तिजारा एवं श्रीमती लाजवन्ती पुत्री श्रीमती

धन्नोदेवी पत्नी खैराती लाल जाति जाट निवारी ग्राम मंढा तहसील तिजारा हाल आवाद वी.एल. 60 वार्ड सं0 44 बस्ती गुंजन छोटी मोहरी मौहल्ला जालन्धर (पंजाब) से जरिये रजि० बयनामा दिनांक 18.07.2022 को खरीद की है। बयनामा उप पंजीयक तिजारा की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 550. पृष्ठ संख्या 53 कम संख्या 202003119102032 पर दिनांक 18.07.2022 को पंजीबद्ध हुआ। आराजी खसरा नं० 1006 रकबा 0.12 हेक्टयर के 1/3 हिस्सा को खातेदार श्रीमती प्रकाशो देवी पुत्री बेलीराम पत्नी फकीरचंद जाति जाट निवारी ग्राम मंढा तहसील तिजारा हाल आवाद मकान नं० 3109 गली नं० 07 जवाहर नगर नियर बस स्टैण्ड लुधियाना (पंजाब) से रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.10.2019 को खरीद की है। बयनामा उप पंजीयक तिजारा की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 516 पृष्ठ संख्या 142 कम सख्या 201903119102342 पर दिनांक 24.10.2019 को पंजीबद्ध हुआ। इसी प्रकार आराजी खसरा नं0 1006 रकबा 0.12 हैक्टयर के 1/3 हिस्सा को खातेदार श्रीमती सुनिता देवी पत्नी बलबीर चंद जाति जाट निवारी ग्राम मंढा तहसील तिजारा से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 31.08.2022 को खरीद की गई है। बयनामा उप पंजीयक तिजारा की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 552 पृष्ठ संख्या 104 कम संख्या 202203119102481 पर दिनांक 31.08.2022 को पंजीबद्ध हुआ। इसी प्रकार मिन अपीलान्ट उक्त आराजी खसरा नं0 1006 के सम्पूर्ण रकबे 0.12 है० का खरीद शुदा मालिक है तथा मौके पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा काश्त है। बयनामा दिनांक 24.10.2019, 18.7.2022 व 31.08.2022 के नामान्तकरण संख्या 2454 दिनांक 12.01.2023, ईन्तकाल संख्या 2467 दिनांक 07.02.2023 एव इन्तकाल सख्या 2471 दिनांक 18.03.2023 को मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुके हैं. जिसके आधार पर मिन अपीलान्ट के नाम उक्त आराजी खसरा नं0 1006 के हाल राजस्व रिकॉर्ड में 8/9 हिस्से का अमल भी आ चुका है। किन्तु तहत अदालत द्वारा उसी समान आराजी खसरा नं0 1006 के 2/18 हिस्से बाबत मिन अपीलान्ट के नाम प्रक्रियाधीन नामान्तकरण संख्या 2481 को तहत अदालत का आदेश दिनांक 17.05.2023 के द्वारा यह तथ्य उल्लेखित करते हुए खारिज किया गया है, कि आराजी आवासीय परिधि क्षेत्र में है तथा उक्त आराजी पर नोट 39 लगा हुआ है, खारिज किया गया। तहत अदालत को तहत अदालत का आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ण रूप से जांच करके ही आदेश पारित करना चाहिए था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी। जब मिन अपीलान्ट दिनांक 19.06.2023 को पटवारी हल्का के पास गया और नामान्तकरण संख्या 2481 के बारे में जानकारी की तो पटवारी हल्का ने बताया कि नामान्तकरण दिनांक 17.05.2023 को खारिज किया जा चुका है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 20.06.2023 को नकल प्राप्त हुई। जिस पर कानूनी सलाह मशुवरा कर बिना देरी किए अपील पेश की जा रही है। अपील किए जाने में हुए विलम्ब को माफ किए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि आलीच्य आदेश दिनांक 17.05.2023 से आज तक का समय कन्डोन फरमाया जाये, अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट लैण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा ने अपील का जवाब पेश करते हुऐ अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि नामान्तकरण संख्या 2481 तहसील तिजारा जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का विकय पत्र संख्या 202003119100271 दिनांक 27.02.2020 अपलान्ट के पक्ष में दर्ज किया गया था। विकय पत्र पंजीवद्ध कराते वक्त विकय पत्र में अंकित आराजी खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.12 है० के 2/18 हिस्से पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा का स्थगन आदेश था। पक्षकारान को आदेश पढकर सुनाया, पक्षकारान की सहमति उपरान्त राजहित को ध्यान में रखते हुए पंजीयन नियमों के तहत धारा 39 का नोट विकय पत्र पर पंजीबद्ध किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2481 दिनांक 17.05.2023 ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध अपील न्यायालय को दिनाक 07.07.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 01 माह पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.05.2023 की जानकारी दिनाक 20.06.2023 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तो मे मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख

अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टा अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तरण संख्या 2481 में वर्णित आराजी खसरा नं० 1006 रकबा 0.12 हैक्टेयर का 2/18 हिस्सा सालिम मिन अपीलान्ट ने तिलकराज पुत्र श्रीमती धन्नो देवी पत्नी दिवान चंद जाति जाट निवासी ग्राम मंढा हाल आबाद एन.न–ए 80, तीसरी मंजिल राईट साईड गुलाब बाग उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली व चिम्मनलाल पुत्र श्रीमती धन्नो देवी पत्नी दिवान चंद जाति जाट निवासी ग्राम मढा हाल आबाद 118 समावदी के रास्ते पर नंगला रायसीस तहसील अलवर से जरिये रजि० बयनामा दिनांक 27.02.2020 के द्वारा खरीद की गई है। आराजी मिन अपीलान्ट की बाकब्जा बाप्रतिफल खरीद आराजी है और मिन अपीलान्ट ने वक्त खरीद उक्त आराजी का कब्जा भी ले लिया था एवं उसी समय से ही मिन अपीलपान्ट वर्णित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। तहत अदालत ने अपने अधिकरो से बाहर जाकर उपरोक्त बयनामा दिनांक 27.02.2020 के आधार पर प्रक्रियाधीन नागान्तकरण संख्या 2481 दिनांक 17.05.2023 को यह तथ्य दर्ज करते हुए खारिज किया गया है, कि उक्त आराजी आवासीय परिधि क्षेत्र में है तथा उक्त आराजी पर नोट 39 लगा हुआ है, खारिज किया गया। उक्त आराजी पर न तो कोई स्थगन आदेश जारी है और न ही उक्त आराजी आबादी क्षेत्र में है। आराजी कृषि भूमि है। जिस पर काश्त की जा रही है। वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहां के विचाराधीन उनवानी प्रकरण सुदर्शना बनाम चिम्मनलाल में जारी आदेशिका दिनांक 17.01.2019 से 20.11.2020 तक की प्रमाणित प्रति एवं मुकदमा नं0 131/2018 रजु दिनाक 08.06.2018 निर्णय दिनांक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दिवानी की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। दिनांक 20.11.2020 जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण आवासीय परिधि क्षेत्र तथा नोट 39 के कारण खारिज किया गया है। विचाराधीन अपील में वकील अपीलान्ट द्वारा मूल बयनामा की प्रति पेश की गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में R.RT 2005 पार्ट–2 पेज नं0 1018 अशोक पैलेस होटल बांसवाडा बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू की नजीरे पेश की हैं, जो कि शामिल मिसल हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बयनामा पर अंकित नोट 39 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा से स्थगन आदेश है, का नोट उप पंजियक तिजारा द्वारा अंकित किया गया है, किन्तु उक्त नोट में मुकदमा नं० उनवान का उल्लेख नहीं है। साथ ही पक्षकारान के मध्य हुआ बयनामा कब्जा काश्त खातेदारी कृषि उपयोग हेतु हुआ है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 नामान्तकरण संख्या 2481 वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसील तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः जांच कर अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर, विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे. पत्रावली फैशल शुमार हो। पत्रावली बाद तकनील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एंव जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जी,